पृष्ठ 22+4+4+4 . मूल्य ₹ 4.00 भोपाल. रविवार . 16 नवंबर 2014 SUNDAY मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष नवमी, संवत् 2071

य एषु सुप्तेषु जागर्ति

patrika.com

XPOSE

पत्रिका

कालेधन जैसी समस्याओं पर लगेगा अंकुश, यदि...

खत्म हो आयकर

अमीरों से टैक्स और गरीब को राहत। यह आयकर संग्रहण की मूल भावना रही है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के जो भी तरीके आज तक अपनाए गए हैं वो सफल नहीं हो पाए हैं। कर से बचने की जुगत में कालाधन बनता है और फिर यही धन कई अवैध क्रियाकलापों और जटिलताओं को भी जन्म देता है, जिनका हल खोजना अब तक टेढ़ी खीर बना हुआ है। यह कालाधन अनेक प्रकार की काली गतिविधियों जैसे अवैध शराब, ड्रग्स, हथियार तस्करी में जाता है। इसी कालेधन के कारण जमीनों के भाव भी आज आसमान छू रहे हैं। इसलिए जरूरत है आयकर की समीक्षा करने की। कर ढांचे में इस तरह के सुधार करने की जो आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ावा देने के साथ ही कर संग्रहण भी आसान बनाए। इसी पर पढ़ें आज के जैकेट में जानकारों की राय।

सिर्फ कुछ पर ही मार

03 फीसदी लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं हर साल।

42,800 लोग हैं भारत में जिनकी 1 करोड़ से अधिक है आय

4,00,000 लोग 20 लाख से अधिक आय वाले, जिनका कुल आयकर में हिस्सा 63 फीसदी है

24 जुलाई 1860 में भारत में आयकर की शुरुआत ब्रिटिश सरकार में वित्त मंत्री सर जेम्स विल्सन ने की थी। पहले साल 11 लाख रुपए का आयकर वसूला गया था। 1919 में यह कानून समाप्त कर दिया गया था पर 1922 में इसे फिर लागू कर दिया गया।

खर्च होना चाहिए कर का आधार

पार्थ जे शाह, अध्यक्ष, सेंटर फॉर सिविल सोसायटी

सरकारों द्वारा आयकर लगाने के पीछे तर्क से ज्यादा परंपरा का योगदान है। प्रोग्रेसिव टैक्स ढांचे (अधिक आय पर अधिक कर) के समर्थन का आशय आयकर की अनिवार्यता नहीं है। अर्थशास्त्र यह कहता है कि जो लोग अधिक कमाएंगे वे अधिक खर्च भी करेंगे। इसलिए अगर माल-असबाब और सेवाओं (जीएसटी) पर टैक्स लिया जा रहा है तो यह स्वभाविक है कि अधिक खर्च करने वाले अधिक कर चुकाएंगे। यह अपने आप में प्रोग्रेसिव टैक्स है। इसका फायदा यह है कि आयकर की तरह इस कर से बचना संभव नहीं है, चोरी भी नहीं की जा सकती।

इसके विपरीत अधिक आय पर अधिक कर की दर का आशय अधिक वसूली कतई नहीं है। अगर आज उच्च आय वर्ग के लोगों पर 30 प्रतिशत आयकर है तो आयकर कानून ही इससे बचने के तमाम रास्ते भी उपलब्ध कराता है। वेतनभोगी के अलावा सभी लोग अपने खर्चों का भारी-भरकम ब्योरा पेश कर आयकर से छूट हासिल कर लेते हैं और हकीकत में काफी कम टैक्स देते हैं। जबकि अधिक टैक्स दर रखने से एक तरफ तो देश में व्यापार माहौल पर नकरात्मक असर पड़ता है तो दूसरी तरफ कर चोरी को बढ़ावा मिलता है और काले धन की अर्थव्यवस्था को बल मिलता है।

काला धन इसीलिए है कि लोग कर के डर से अपनी असल आय नहीं बताते हैं। जिसकी आवक 20 करोड़ है वह सिर्फ 10 करोड़ ही दिखाता है और 10 करोड़ का कोई

> जिनकी आय ज्यादा है वो खर्च भी ज्यादा करते हैं। आय को छुपाना आसान है, खर्च को नहीं। इसलिए खर्च पर टैक्स लगाना अधिक व्यवहारिक है।

रिकॉर्ड नहीं पेश करता। इस तरह आयकर बचाने के चक्कर में काले धन का सर्जन शुरू हो जाता है। नगदी आय को नहीं दिखाने के लालच में ही काले धन का दुष्चक्र शुरू होता है। पर जब आय पर कर ही नहीं होगा, तो आय की घोषणा की भी जरूरत नहीं होगी। यह सवाल भी नहीं होगा कि पैसा आया कहां से? इसलिए अगर आय पर कर खत्म कर देते हैं तो कालेधन की समस्या तो खत्म ही हो जाएगी!

यह कहना भी उचित नहीं है कि प्रत्यक्ष कर (आयकर आदि) की बजाए अप्रत्यक्ष कर (बिक्री, एक्साइज आदि) पर अधिक निर्भरता से महंगाई बढ़ती है। यह सही है कि अप्रत्यक्ष करों की जद में गरीब-अमीर सभी आते हैं पर समाज के वंचित तबके पर इसकी मार न पड़े इसके लिए कुछ ठोस उपाय किए जा सकते हैं। कई देशों में ऐसा है भी। अनप्रोसेस्ड आइटम्स जैसे सब्जियां, गेहूं आदि और आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों तेल, नमक आदि को कर मुक्त श्रेणी में रख सकते हैं। जबकि प्रोसेस्ड आइटम्स जैसे ब्रेड, रेडीमेड आइटम्स, महंगे सामान, विलासिता की वस्तुओं मसलन वाशिंग मशीन, सेलफोन आदि पर टैक्स अधिक रखा जा सकता है।

देश और समाज दोनों को होगा लाभ

कर विशेषज्ञों की मानें तो आयकर समाप्ति से आमजन के जीवन स्तर में सुधार की पूरी संभावना है और सरकार की माली हालत पर भी किसी तरह का विपरीत असर नहीं पड़ेगा।

होगा उद्योगों की संख्या में इजाफा

कर विशेषज्ञ बाल किशन परवाल के मुताबिक आयकर मुक्ति व्यापार से और अधिक कमाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आयकर न देने से बची राशि से बाजार में मांग की नई स्थितियां पैदा होंगी। जिसकी पूर्ति के लिए नए उद्योग लगेंगे। इससे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर्ज होगी।

होगा रोजगार सृजन

अवैध धंधों और अपराधों पर अंकुश

आयकर समाप्ति से अधिक से अधिक उद्योगों की स्थापना होगी, जिससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अवैध कारोबार में लग रहा कालाधन वैध कारोबार में लगने लगेगा और अवैध कारोबार से जुड़े संगठित अपराधियों की गतिविधि पर भी अंकुश लगेगा।

महंगाई घटने की संभावना

गुणवत्ता सुधरेगी और बढ़ेगी प्रतिस्पर्धा

जब उद्योग विकसित होंगे तो बाजार में मांग को पूरा करने के लिए माहौल में जोरदार प्रतिस्पर्धा होगी। इसके परिणामस्वरूप उत्पादों की कीमतें भी बेहद प्रतिस्पर्धी रखनी होंगी। इसी प्रतिस्पर्धा के चलते बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में कमी आ सकती है।

सस्ते ऋण मिलेंगे

बैंक आगे बढ़कर देंगे विभिन्न प्रकार के ऋण

यह सही है कि आय में वृद्धि से बैंकों पर दबाव आ जाएगा। बाजार में मुद्रा का प्रचलन अधिक होने से लोग बैंकों से ऋण कम लेना चाहेंगे और बैंक अधिक से अधिक सरलता के साथ ऋण देना चाहेंगे। इन स्थितियों में बैंक सस्ते ऋण उपलब्ध करा सकते हैं।

वाजपेयी के समय हुआ था विचार

एस. गुरुमूर्ति
जाने-माने आर्थिक विश्लेषक

500 व एक हजार के नोट बन्द होने चाहिए।

वर्ष 2001 में बजट से पहले अटलबिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने टैक्स से इतर व्यक्तिगत आयकर को समाप्त करने के मुद्दे पर विचार किया था। केन्द्रीय मंत्री अरुण शौरी और मैं इसके पक्षधर थे। प्रधानमंत्री वाजपेयी और उपप्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी भी सहमत थे। पर जनवरी के तीसरे सप्ताह में हमारी बैठक के बाद ही गुजरात में भूकम्प आ गया। इस त्रासदी से निपटने के लिए भारी धनराशि की जरूरत थी इसलिए आयकर समाप्त करने का विचार त्याग दिया गया। वर्ष 2001 में व्यक्तिगत आयकर की राजस्व में भुमिका बहुत कम थी लेकिन अब दो लाख करोड़ से अधिक पैसा आयकर के रूप में एकत्र होता है जो कुल कर राजस्व का पांचवां हिस्सा और जीडीपा का 1.8 प्रतिशत है। ऐसे में अब वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना आयकर समाप्त करने से कुछ समय के लिए राजकोषीय स्थिति बिगड़ सकती है। यह भी सही है कि आयकर के कारण कालाधन बनता है लेकिन केवल यही मुख्य कारण नहीं है। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और बिक्रीकर भी बड़े कारण हैं। उदाहरण के लिए, भारी आयात शुल्क के कारण सोने की तस्करी से कालाधन बनता है। हालांकि आयकर समाप्त करने को लेकर अब मेरे पहले जैसे विचार नहीं हैं लेकिन कुछ सुधार तो होना ही चाहिए। आयकर को ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसकी गणना के समय पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी ध्यान रखा जाए। परिजनों की जिम्मेदारी निभा रहे व्यक्ति को अन्य के बराबर नहीं रखना चाहिए। भारत में परिवार आधारित समाज है और सामाजिक सुरक्षा परिवार से ही मिलती है।

...और भी जरिए हैं कमाई के

प्रो. सुब्रमण्यम स्वामी
पूर्व केन्द्रीय मंत्री

हमारे देश में करीब दो लाख करोड़ आयकर एकत्र हो रहा है। इसे अगर खत्म कर दिया जाए तो सरकार को कोई बड़ी हानि नहीं होगी। सरकार अगर आयकर के वैकल्पिक साधनों पर ध्यान लगाए तो इससे कहीं ज्यादा आमदनी हो सकती है। मसलन, 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में 1.76 लाख करोड़ का घोटाला हुआ, उसे रोका जाता तो यह सरकार की आमदनी में शामिल होता। कोयला खान आवंटन घोटाले में 1.86 करोड़ गंवाए। पिछले कुछ वक्त में लाखों-करोड़ों के घोटाले उजागर हुए हैं, उनमें शामिल राशि सरकार की आमदनी हो सकती थी। इसी प्रकार अगर विदेशों में जमा कालाधन वापस सरकार के पास आ जाए तो आयकर वसूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने 214 कोयला खदानों का आवंटन रद्द किया है। अब इन खदानों की फिर से नीलामी की जाएगी। इस नीलामी में सरकार को करीब 11 लाख करोड़ मिलेंगे। 3 जी और 4 जी स्पेक्ट्रम का आवंटन भी होगा। इसके अलावा कॉरपोरेट्स को सरकार की ओर से भारी छूट दी जा रही है, उसे खत्म करना चाहिए। आयकर वसूलने के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। राजस्व में इसका हिस्सा बहुत कम है। इसे समाप्त करने से लोग ज्यादा बचत कर सकेंगे। उनकी खर्च करने की क्षमता में इजाफा होगा। इससे अर्थव्यवस्था को ही फायदा होगा। सरकार हर साल वैकल्पिक साधनों के जरिए ज्यादा आमदनी कर सकती है। अब सरकार को कर सुधार पर जोर देना चाहिए। वित्त मंत्री अरुण जेटली को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। उम्मीद है कि यह सरकार कुछ करेगी।

इन देशों में नहीं लगता आयकर

यूएई
संयुक्त अरब अमीरात आज प्रमुख अमीर देशों में है और सभी प्रकार की सुविधाएं वहां के निवासियों के लिए उपलब्ध हैं। पर्यटन और वित्तीय सेवा कर अर्थव्यवस्था की रीढ़ है।

कतर
प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इसे दुनिया के सर्वाधिक अमीर देशों में शामिल किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यहां बेरोजगारी नहीं के बराबर है। अन्य करों की दरें दुनिया में सबसे कम हैं।

ब्रुनेई
सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति क्रय क्षमता के आधार पर इस देश का नंबर दुनिया में पांचवां है। यह वह देश है जिसका सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का शून्य प्रतिशत है।

कहां से कितना कर

केन्द्र सरकार के कुल राजस्व में करों की हिस्सेदारी

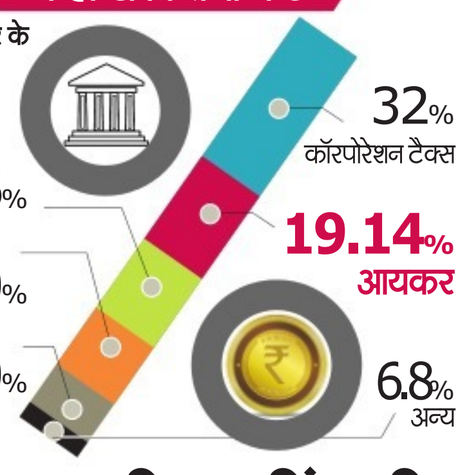

लाभकारी नहीं रही आयकर प्रणाली

प्रो. केवी भानुमूर्ति
दिल्ली विश्वविद्यालय

97% लोग हैं आयकर के दायरे से अब भी बाहर

कर के बारे में जो सिद्धांत हैं उसके तीन-चार पक्ष हैं। इनमें से एक समता के सिद्धांत को छोड़कर सभी का समन्वित निष्कर्ष यही है कि हमारी प्रणाली में आयकर कोई लाभकारी कर नहीं रह गया है। पहला पक्ष है पूंजी और श्रम अर्थात साधनों की आपूर्ति। यह कहता है कि अगर हम पूंजी और श्रम (वेतन) पर कर लगाते हैं तो इनके संवर्धन और प्रतिफल में कमी होने की संभावना रहती है। दूसरा पक्ष आयकर की लोच की बात करता है। अर्थात आयकर दर कम करने पर कर देने वालों का दायरा कम की गई दर का दोगुना बढ़ना चाहिए। जैसे अगर आयकर दर 35 से 10 प्रतिशत कम कर 25 की जाती है तो आयकर देने वालों की संख्या कम से कम 10 से दो गुना ज्यादा अर्थात 20 प्रतिशत बढ़ना चाहिए, तभी कर दर कम करना उचित है। अगर ऐसा नहीं होता तो यह माना जाता है देश में असमानताएं ज्यादा हैं और कर दर कम करने का ज्यादा फायदा नहीं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि आयकर संग्रहण करने की लागत प्राप्त होने वाले आयकर की तुलना में कितनी है और आयकर दाताओं की संख्या बढ़ने से कर संग्रहण मशीनरी की कुशलता घटती तो नहीं है? भारत के साथ ऐसा ही है।

बिना विकल्प ही हो जाएगी हानि की भरपाई

20 से **25** प्रतिशत तक परोक्ष कर संग्रह बढ़ेगा

विदेश में जमा कालाधन ही आ जाए तो देश में आजीवन किसी को भी आयकर नहीं देना पड़ेगा और सरकार को राजस्व से होने वाली हानि की चिंता भी नहीं होगी।

सुभाष लखोटिया
कर सलाहकार

आयकर को समाप्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि यह कालेधन की एक प्रमुख जड़ है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि आयकर समाप्त कर दिया जाए तो इससे राष्ट्र को कितने राजस्व की हानि होगी ? दूसरा प्रश्न यह भी है कि किन विकल्पों के माध्यम से इस राशि की भरपाई हो सकेगी ? पहली बात तो यह है कि राजस्व की हानि के आंकड़े का अनुमान केवल यही हो सकता है कि जितनी राशि पूर्व में आई और पूर्व में कितने प्रतिशत औसत बढ़ोतरी होती रही है, उसे जोड़कर एक अंदाजा लगा लिया जाए। रहा सवाल इस हानि की भरपाई का,

कालेधन पर अंकुश

मनी फ्लो बढ़ जाने से बैंकों की जमाओं पर ब्याज में कमी आ सकती है लेकिन बाजार में आया अतिरिक्त पैसा बाजार में ही खर्च होने लगेगा। इससे समानांतर चलने वाली कालेधन की अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगेगा।

तो मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भारत का जो कालाधन विदेशी बैंकों में है, उसे ले आएं तो आजीवन किसी को भी आयकर नहीं देना पड़ेगा। यह बात तो केवल अनुमान के आधार पर ही बात करना हुआ। लेकिन, एक बार को यदि आयकर हटा दिया जाये तो वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर की चोरी ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि व्यक्ति की सोच में परिवर्तन आएगा कि वह कितना भी कमा ले लेकिन उसे आयकर नहीं देना है। निजी आय को छिपाने का भय समाप्त होने पर व्यापारिक आय में भी चोरी की सोच समाप्त होगी क्योंकि व्यापारिक आय के माध्यम से निजी आय बढ़ाई जा रही थी, तो आय को बढ़ाने के लिए व्यापारिक आय को भी बढ़ाकर ही दिखाना होगा, इसके लिए खातों में चोरी या किसी तरह के घालमेल पर ध्यान नहीं जाएगा। व्यापार में मात्रात्मक बढ़ोतरी के कारण सरकार को बिना किसी प्रयास के ही 20 से 25 प्रतिशत परोक्ष करों के रूप में बढ़कर मिलेंगे। उसे तो वर्तमान दरों में भी किसी बदलाव की आवश्यकता ही नहीं है।

इसके बाद भी यदि सरकार आय में बढ़ोतरी चाहे तो वह बिक्री कर, मूल्यवर्धित कर, सेवा कर दरों को परिवर्तित करे। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि एक साल के लिए आयकर समाप्त हो, तो भी सरकार की झोली में अनुमानित हानि से कई गुना अधिक राशि आ जाएगी। अलबत्ता, बाजार में मनी फ्लो बढ़ जाने से बैंकों की जमाओं पर ब्याज में कमी आ सकती है लेकिन बाजार में आया अतिरिक्त पैसा बाजार में ही खर्च होने लगेगा।

इससे समानांतर चलने वाली कालेधन की अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगेगा। इससे समाज में पनपने वाली बुराइयों पर भी लगाम लग सकती है। भले ही इनका प्रतिशत कम हो लेकिन कमी जरूर आएगी। इसका कारण यह है कि बाजार में धन का पर्याप्त प्रवाह होने से बेरोजगारी और मजबूरी में पनपने वाली बुराइयों के लिए सीमित स्थान होगा। सरलता से मिलने वाला रोजगार और पर्याप्त आय के साधन, मजबूरी में अपराध की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति पर अंकुश जरूर लगाएंगे।